सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

**निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस**

प्रकरण संख्याः— **22/2018 अपील (राजस्व)**

श्री छोगालाल पिता श्री कन्ना जी डांगी, निवासी मकान नम्बर बी—64, उदय विहार, आकाशवाणी के पास, मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्ट**

**बनाम**

1. केशुलाल पिता श्री कन्ना जी डांगी नि. उदयविहार, मादडी तह. गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
2. मु0 रोडी बाई पत्नी श्री कन्ना जी डांगी नि. उदयविहार, मादडी तह. गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
3. शंकरलाल पिता श्री पूरा जी डांगी,
4 प्यारी पत्नी श्री शंकरलाल जी डांगी,
   सर्व निवासीयान खरबडिया, तह. गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री डूंगरसिह राजपूत निवासी मठ, मादडी तह. गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री समरसिंह पिता श्री भैरूसिह सांखला, निवासी 112, खेमपुरा, तह. गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
7. भास्कर महाराजा पिता श्री छोगाा महाराजा, नि. 89—बी रोड, एम.आई.ए. मादडी, पुरोहितान, तह. गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
8. मांगीलाल पिता श्री जीवाराम तेली, निवासी मानमाले गढवाडा, तह. मावली जिला उदयपुर (राज.)
9. किरण पत्नी श्री हेमराज तेली, निवासी जावद, तह. मावली जिला उदयपुर (राज.)
10. बेसनराय पिता श्री जुलनराय गोड़, निवासी जलार घाटी, आईस फैक्ट्री उदयपुर (राज.)
11. श्री राज्य जरिये तहसीलदार साहब तह. गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्टगण**

**अपील बनाराजगी निर्णय तहसीलदार गिर्वा बप्रकरण सं. 16/18 निर्णय दिनांक 09.02.18**

उपस्थित : श्री सम्पत लाल बोहरा, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री सुखराम डिडेल, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 10
श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

# <u>आदेश</u>

दिनांकः—19.08.2019

अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा के प्र.सं. 16/18 निर्णय दिनांक 09.02.18 से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा खेडा कानपुर तहसील गिर्वा के आराजी नं. 3523/1, 3524मी. किता 2 रकबा 0.2000 अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के सहखातेदारी एवं सहस्वामित्व से कृषि भूमि है। इसी प्रकार मौजा कानपुर के आराजी नं. 581, 666, 667/1, 668/1, 1070, 1080, 1081 कुल किता 7 रकबा 1.3800 है. भूमि सहखातेदारी एवं स्वामित्व की स्थित हैं। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थनापत्र सहमति से बंटवारा किये जाने हेतु अपीलान्ट के फर्जी हस्ताक्षर कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे पटवारी हल्का कानपुर को जांच हेतु भेजा गया। पटवारी हल्का व रेस्पोडेन्ट की मिलीभगत से सहमति बंटवारा नामा व नक्शा तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जिसमें सभी खातेदारो की पहचान का अंकन पटवारी हल्का द्वारा किया गया। सारी कार्यवाही पटवारी व रेस्पोडेन्ट द्वारा की गई। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं हैं। यह सारा कृत्य अपीलान्ट के भाई केसुलाल व अन्य रेस्पोडेन्ट ने मिलकर पटवारी हल्का से मिलकर तैयार किया। फर्जी बंटवारानामा पर तहसीलदार को धोखा देकर निर्णय पारित करवा लिया व खाते में बंटवाडा करवा लिया। मौके पर बंटवाडा आजतक काश्तकारों के मध्य नहीं हुआ हैं फिर भी रेस्पोडेन्ट द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर निर्णय पारित करवा लिया गया। जबकि पटवारी को चाहिए था कि सभी सहखातेदारों को मौके पर बुलाते, उनकी उपस्थिति में मौका देखते, सभी सहखातेदारों की उपस्थिति में पर्चामौका बना बंटवाडा पत्र पर हस्ताक्षर करवाते। रेस्पोडेन्ट भूमाफिया हैं। पटवारीजी उनके प्रभाव में आ गये। आम रास्ते की भूमि रेस्पोडेन्ट द्वारा बंटवाडे में ले ली गई। अपीलान्ट जब संयुक्त भूमि पर काश्त किये जाने हेतु निराई, गुढाई कर रहा था, उसे रोक दिया गया एवं कहा गया कि बंटवाडे में यह भूमि हमें प्राप्त हुई हैं तुम्हारी दूसरी आराजी है। अपीलान्ट को प्रथमबार उसका ज्ञान हुआ।

ज्ञान होते ही अपील पेश की जा रही है। उक्त सारा कार्य न्याय एवं प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत हुआ है, जो प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बंटवारे को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करे।

अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील मेमो के साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं। प्रार्थनापत्र में निवेदन किया है कि न्यायालय के निर्णय का पता चलते ही निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंटगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 10 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री सुखराम डिडेल द्वारा उपस्थित होकर धारा 5 का जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं अपील में सीधे ही बहस की गई। वक्त बहस प्रस्तुत दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गये।

धारा 5 के जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी स्वयं ने सहमति के आधार पर बंटवाडा किया इसलिए बंटवाडे की सम्पूर्ण जानकारी थी। प्रार्थी व विपक्षीगणों ने संयुक्त रूप से तहसीलदार गिर्वा के समक्ष आपसी सहमति के आधार पर बंटवाडानामा प्रस्तुत किया। तहसीलदार गिर्वा ने सहमति बंटवाडे को स्वीकार कर सहमति बंटवाडे के अनुसार रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये गये। जिस पर नामान्तकरण सं. 2338 दिनांक 19.02.2018 खोला गया। अपीलान्ट की नियत में खोट आने व अन्य लोगों के बहकावे में आने से अपने हस्ताक्षर नहीं होना बता कर मयाद गुजरने के बाद अपील पेश की है। अपीलान्ट को सहमति बंटवाडे की जानकारी थी। तहसीलदार गिर्वा के समक्ष सहमति बंटवाडा बाबत हस्ताक्षर किये थे। इसलिए अपील बेरून मयाद प्रस्तुत की है, इसे इसी स्टेज पर बेरून मयाद के आधार पर खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है। अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट

छोगालाल ने कभी भी बंटवाडा आपसी सहमति द्वारा नहीं किया गया है। छोगालाल के दस्तखत फर्द अहकाम व कागजों पर फर्जी बनाये गये है। यदि श्रीमान छोगालाल के दस्तखत अवलोकन करते है तेा प्रथम दृष्टया किसी फर्जी व्यक्ति से कराये जाना पाये जाते है। दिनांक 09.02.18 के फर्दअहकाम के पहले पेज पर सभी के दस्तखत नहीं होकर दूसरे पेज पर सभी के दस्तखत भी भिन्न है। रेस्पोडेन्ट ने पटवारी हल्का से मिलकर जालसाझी कर फर्जी बंटवारानामा बनाया गया व विभाजन सूची तैयार की गई। खातेदारों की पहचान भी गावं के मौतबिरान से नहीं करायी गयी। इस संबंध में एफ.आई.आर. भी दर्ज करायी गई। पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थनापत्र पेश किया गया। भूमि हडपने के कृत्य के विरूद्ध कार्यवाही करायी जाने बाबत लिखा गया। उस पर भी छोगालाल के हस्ताक्षर किये हुए हैं। तहसीलदार के समक्ष छोगालाल कभी भी उपस्थित नहीं हुये ना ही उनके द्वारा छोगालाल को देखा गया। कथित सहमति बंटवाडा को दिनांक 05.02.19 को पटवारी हल्का के पास मौका रेकार्ड की जांच हेतु तहसीलदार द्वारा भेजा गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा पटवारी से मिलकर गांव के पास की जमीन व एक साथ मिली हुई जमीन अपने पास रख ली तथा वहां से एक किलोमीटर अन्दर की जो जमीन थी वह जमीन अपीलान्ट के पास टुकडे–टुकडे में दी गई। जिसके लिए छोगालाल कभी भी तैयार नहीं होता। नक्शे पर हस्ताक्षर फर्जी बनाये गये है। आपसी सहमति बंटवाडानामा बिल्कुल फर्जी तैयार किया गया है। रेस्पोडेन्ट ने अपने खाते की भूमि के प्लॉट काट कर बेचना शुरू कर दिया है। अपीलान्ट को बंटवाडे के निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी। हाल ही पटवारी हल्का से ज्ञात हुआ कि उक्त नामान्तकरण तहसीलदारजी द्वारा स्वीकार फरमा दिया गया है। जिस पर नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट के हिस्से में कुल 0.2000है. व 0.3350 हे. जमीन दी गई है। जिसका लगान 7.90 रूपये है जबकि केसुलाल की जमीन का लगान 14.08 रूपये है। वह सड़क के पास की तथा गांव के पास की है। दोनो आराजीयात एक ही चक में स्थित है। जिन्हे बंटवाडा नहीं कहा जा सकता है तथा तीसरे को जो जमीन दी गई है उसका लगान 0.98 रूपया है परन्तु वह जमीन भी एक ही चक में है। बैंक में छोगालाल के दस्तखत प्रमाणितशुदा

है। फौजदारी केस में जांचकर्ता ने यह लिख दिया कि यह दस्तखत छोगालाल के है या नही इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि पुलिस वाले भी भूमाफिया रेस्पोडेन्ट से मिले हुए है। पुलिस को बैंक से प्रमाणित हस्ताक्षर लेकर जांच कराने को कहा परन्तु उन्होने ऐसा नही किया। अपीलान्ट को बिना सुने शहादत सबूत का मौका दिये बिना आदेश पारित कर दिया गया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्त है। अपनी बहस की ताईद में R.R.T. 2010 (2)P.1073., R.R.D. 1993 P.405., R.R.D. 1992 P.17., R.R.D. 1992 P.239., R.R.D. 1992 P.337., R.R.T. 2016 (1)P.1. पेश की। अतः कृपया अपीलार्थी की अपील को अन्दर मयाद माना जाकर अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर सभी पक्षकारों की मौजूदगी में बंटवाडा नियम 18 से 21 तक की पालना कराते हुये नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने का आदेश तहसीलदार गिर्वा को प्रदान करें।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 10 अपीलान्ट के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील मियाद बाद पेश की गई है।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 10 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई साथ ही अपीलार्थी अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुये अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का सभी सहखातेदारों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर बिना विवाद के कृषि भूमि का बंटवाडा करने पर सहमत हुये व सहमति के बाद 500/– के स्टाम्प पर बंटवाडानामा निष्पादित किया गया। जिस पर सभी द्वारा हस्ताक्षर किये गये। सहमति बंटवाडे में सभी आराजीयात पर भी सहमति बंटवाडा के आधार पर मौके पर काबिज हुये। जिससे दिनांक 05.02.18 को तहसीलदार गिर्वा के समक्ष प्रस्तुत कर बंटवाडानामा के आधार पर मौके एवं रेकार्ड में बंटवाडा कराकर रेकार्ड में अमल–दरामद करने का निवेदन किया गया। प्रार्थनापत्र पर भी अपीलान्ट छोगालाल के हस्ताक्षर किये हुये है। जिसकी जांच तहसीलदार सा. द्वारा पटवारी से करवायी गई। पटवारी कानपुर द्वारा आपसी लिखित बंटवाडा के आधार

पर बंटवाडा का पर्चा मौका दिनांक 07.02.18 को मौके पर बनाया जिस पर सभी के दस्तखत करवायें। मौके के अनुसार नक्शे में अलग–अलग कलर कर सभी के समक्ष बंटवाडा की रिपोर्ट बनायी गयी। जिसे अपीलान्ट छोगालाल व सभी रेस्पोडेन्टो ने सही होना मानकर अपने–अपने हस्ताक्षर किये । तहसीलदार साहब के आदेश से राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया गया। अपने–अपने हिस्से के अनुसार मौके पर शांतिपूर्वक तरीके से तब से आजतक बैठे हुये है। कोई विवाद नहीं था। बंटवाडेनामें के आधार पर पटवारी हल्का कानपुर द्वारा बंटवाडा फेहरिस्त तैयार कर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट व दो स्वत्रंत गवाहो के हस्ताक्षर बंटवारा फेहरिस्त पर करवाये गये। बाद कार्यवाही तहसीलदार गिर्वा के समक्ष रिपोट प्रस्तुत की गई। जिस पर तहसीलदार गिर्वा द्वारा दिनांक 09.02.18 को पटवारी हल्का को राजस्व अभिलेख में माफिक सहमति बंटवाडा नामा के आधार पर अमल दरामद किये जाने हेतु आदेश दिये गये। जिसकी पालना में हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 772 दिनांक 19.02.18 को खोलकर रेकार्ड में अमल दरामद किया गया। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्टगणों के विरूद्ध एक एफ.आई.आर. 166/18 पुलिस थाना प्रतापनगर में दर्ज करवायी जिस पर अपीलान्ट छोगालाल के नमूना हस्ताक्षर लिये जाकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में हस्ताक्षरों की जांच हेतु भेजे गये। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट दिनांक 25.10.18 के अनुसार अपीलान्ट छोगालाल के हस्ताक्षरों से मेल खाते हुए (Similar) हस्ताक्षर होना माना। विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने भी बंटवारा नामा में हस्ताक्षर छोगालाल के ही माने है। भिन्न (Mismatch) होना अपनी रिपोर्ट में नहीं बताया है। छोगालाल द्वारा दर्ज एफआईआर में एफआर न्यायालय में पेश कर दी गई है। सहमति बंटवाडे पर फर्जी हस्ताक्षर होने का आधार बिल्कुल ही गलत है। बंटवाडेनामे हेतु रूपये 500/– का जो स्टाम्प लगाया गया है उस पर केसुलाल का फोटो सहमति स्वरूप लगा हुआ होकर हस्ताक्षर किये हुये है। अपीलान्ट छोगालाल दलालो के बहकावे में आकर भ्रमीत होकर यह कार्यवाही की है। अतः अपीलान्ट की अपील को खारीज कराना फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित है।

बहस उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया गया। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमति से बंटवाडा कराने बाबत प्रार्थनापत्र मय सहमति बंटवारानामा एवं अन्य दस्तावेजो का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि बंटवाडा सहखातेदारो के मध्य आपसी सहमति के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के उपबन्धनों को प्रभावी करने के लिए नियम 18 से 21 के अनुसार ही आपसी सहमति बंटवाडा नामा पर तहसीलदार गिर्वा द्वारा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये गये है। विद्ववान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के गहन अध्ययन व बहस के मनन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट जो कि आपसी सहखातेदार थे जिनके द्वारा आपसी सहमति से किये गये बंटवाडे पर बाद जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार बंटवाडा स्वीकार किया गया है, जो विधिक है। जिसमें किसी प्रकार का कानूनन उल्लघंन नहीं हुआ है। अपीलान्ट अपनी अपील इस आधार पर लेकर आया है कि सहमति बंटवाडेनामे पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। परन्तु विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा इसे पूर्णतया साबित नहीं किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पक्षकारानों के मध्य आपसी सहमति से ही बंटवाडा होना पाया जाता है। न्यायिक कार्यवाही हस्तगत पत्रावली से भिन्न है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का मत है कि पक्षकारानो के मध्य प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर आपसी सहमति बंटवाडा हुआ है। जिसे निरस्त किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है। जिस कारण अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है। परन्तु न्यायालय का यह मत भी है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत एफआईआर पर यदि न्यायालय बंटवाडेनामे पर अपीलान्ट छोगालाल के हस्ताक्षर नहीं होकर आपसी सहमति बंटवाडे नामे

को जाली दस्तावेज घोषित करती है तो दोनो पक्ष राजस्व न्यायालय में नई कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
**जिला कलक्टर**
**उदयपुर**